बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

: अधिसूचना :

संचिका संख्या : 01/प्रो०-05/2026 5527(S) **पटना, दिनांक** :06/8/26

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में पथ निर्माण विभाग के अधीन गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 21.07.2026 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित पदाधिकारियों को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के पद पर पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान (वेतन स्तर–14) सहित उच्चतर पद का स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	मूल कोटि की वरीयता (सिविल लिस्ट)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री बब्लु कुमार	658 1995/01	मूल पद मुख्य अभियंता (असैनिक)

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ निम्नरूपेण देय होगा :–

(क) संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक पूर्व धारित पद पर ही उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा पूर्व से धारित पद के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

(ख) वैसे पदाधिकारी जो पूर्व से कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभार में है उन्हें अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन संबंधित उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना के विरूद्ध प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हत्ता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाए जाने पर उन्हें प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।

4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान् के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम् न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एतद् संबंधी अन्य वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

कृ०पृ०उ०

5. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(सौरभ राय),
अवर सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक : 01/प्रो०–05/2026 **पटना, दिनांक** ....

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(सौरभ राय),
अवर सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक : 01/प्रो०–05/2026 **पटना, दिनांक** ....

प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(सौरभ राय),
अवर सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक : 01/प्रो०–05/2026 **पटना, दिनांक** ....

प्रतिलिपिः सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित), पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित), पथ निर्माण विभाग/निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना/लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सौरभ राय),
अवर सचिव (प्र०को०)।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक : 01/प्रो०–05/2026 पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(सौरभ राय),
अवर सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक : 01/प्रो०–05/2026 पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, ई०–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई०टी० मैनेजर पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना)।

ह०/–
(सौरभ राय),
अवर सचिव (प्र०को०)।

ज्ञापांक : 01/प्रो०–05/2026 5528(S) पटना, दिनांक 06/8/26

प्रतिलिपिः अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/08/2026
(सौरभ राय),
अवर सचिव (प्र०को०)।